FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत––जिला कलक्टर मुकाम : दौसा

राकेश कुमार **बनाम विकास कुमार वगै0**

किस्म मुकदमा– स्थगन प्रा0पत्र

नम्बर––––––––––01–––सन्– 2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
07.01.2025	अधिवक्ता प्रार्थी श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा उपस्थित। राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। स्थगन प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी व राजकीय अधिवक्ता को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी ने स्थगन प्रा0पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 द्वारा एक प्रार्थना पत्र अधीनस्थ तहसीलदार सैंथल के समक्ष ग्राम बापी में स्थित आराजी खाता सं0 342 में प्रार्थी के हक में वसीयत के आधार पर नामान्तरण खोला जावे जिस पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट तलब की गई। पटवारी हल्का बापी ने रिपोर्ट पेश की गई कि वाके ग्राम बापी में जमाबंदी संवत 2072 से 2075 से खाता सं. 342 कैलाशचन्द पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 खातेदार राहिन सिंडीकेट बैंक शाखा दौसा व रामजीलाल पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण सा0 देह खातेदार राहिन पंजाब नेशनल बैंक शाखा दौसा मुर्तहीन कुल किता 19 रकबा 4.01है. भूमि दर्ज रिकार्ड है। इसमें कैलाश चंद पुत्र मांगीलाल हिस्सा 1/2 जाति ब्राह्मण की वसीयत दिनांक 17.04.2017 को रजिस्टर्ड वसीयत विकास कुमार पुत्र रामावतार शर्मा कगे नाम हुई है। वसीयत अंतिम है अथवा नहीं इसके लिए तहसीलदार के न्यायालय में विधिवत सुनवाई 135(2) में होने के उपरांत ही नामान्तरण की आगामी कार्यवाही संभव है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के बावजूद अधीनस्थ तहसीलदार सैंथल ने विधिवत सुनवाई नहीं करके मनमर्जी से दिनांक 30.12.2024 को निर्णय पारित कर दिया कि '' प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं आदेश दिये जाते हैं कि वसीयत के अध्यधीन वसीयतकर्ता की कृषि भूमि का नामान्तरण वसीयतग्रहिता के नाम तस्दीक किया जावे। पटवारी हल्का को राजस्व रिकार्ड में अमल करने हेतु तहरीर जारी हो। उक्त वसीयत को प्रार्थी द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में चुनौती दी गई है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.01.2025 नियत है। अधीनस्थ तहसीलदार सैंथल ने जैर अपील निर्णय पारित करने से पूर्व उक्त प्रार्थना पत्र पर गौर नहीं कर निर्णय पारित किया गया है।प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है, अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी को है एवं सुविधा का सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। अतः अपील के निर्णय तक अधीनस्थ तहसीलदार सैंथल के निर्णय दिनांक 30.12. 2024 की क्रियान्विति को स्थगित फरमाई जावे। राजकीय अधिवक्ता ने स्थगन प्रा0पत्र पर बहस में दलील दी कि तहसीलदार सैंथल द्वारा पारित निर्णय बाद सुनवाई विधिसम्मत पारित किया गया है। प्रार्थी द्वारा चाहा गया अनुतोष सिविल न्यायालय से अपेक्षित है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थी एवं राजकीय अधिवक्ता की स्थगन प्रा0पत्र पर सुनी गई बहस पर मनन किया गया। स्थगन प्रार्थना पत्र एवं मूल नामा. अपील पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार सैथल द्वारा प्रकरण सं0 05/2022 विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 30.12.2024 को पारित किया गया है। प्रार्थी का कथन कि वसीयत को न्यायालय में चुनौती दी गई है तो इस [illegible] दौसा द्वारा वसीयत पर किसी प्रकार का मत/अभिमत प्रकट न[illegible]। अतः केवल इस आधार पर की वसीयत को चुनौ[illegible] उचित नहीं है। प्रथम दृष्टया केस प्रार्थी[illegible] का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में नहीं है। अ[illegible] प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज फैसल ह[illegible] मूल अपील के संलग्न रहे। Devendra जिला कलक्टर दौसा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 10:40:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official